शहरी विकास विभाग, उत्तराखण्ड द्वारा स्वच्छ भारत मिशन शहरी विकास विभाग के अन्तर्गत रामनगर की ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन की योजना के अनुमोदनार्थ मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में दिनांक 28 सितम्बर, 2020 को आयोजित व्यय वित्त समिति की बैठक का कार्यवृत्त

मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में सम्पन्न व्यय वित्त समिति की बैठक दिनांक 28 सितम्बर, 2020 में उक्त प्रस्ताव पर विचार–विमर्श किया गया। बैठक में निम्न अधिकारीगण उपस्थित थेः–

1. श्रीमती मनीषा पंवार, अपर मुख्य सचिव, नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
2. श्रीमती सौजन्या, सचिव, वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
3. श्री विनोद कुमार सुमन, अपर सचिव, शहरी विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
4. श्री रवि पाण्डे, अधीक्षण अभियन्ता, शहरी विकास विभाग, उत्तराखण्ड।
5. श्री गंगा प्रसाद पन्त, तकनीकी विशेषज्ञ, राज्य योजना आयोग, उत्तराखण्ड।
6. श्री जी0सी0 जोशी, सलाहकार (अभियन्त्रण), राज्य योजना आयोग, उत्तराखण्ड।
7. श्री दिनेश वर्मा, सहायक अभियन्ता, टी0ए0सी0 नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड।

1. **परियोजना का प्रस्ताव** :– योजनान्तर्गत स्वच्छ भारत मिशन शहरी विकास विभाग के अन्तर्गत रामनगर की ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन की योजना का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है।
2. **भूमि की उपलब्धता** :– विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि भूमि उपलब्ध है।
   परियोजना की प्रस्तुत लागत – रू0 584.25 + रू0 46.58 = रू0 630.83 लाख
   परियोजना की कुल लागत (टी0ए0सी0 के परीक्षण उपरान्त) –
   रू0 513.62 लाख (रू0 470.86 लाख + रू0 42.76 लाख)
3. **Executive Summary of the Project :-**
   Project Technical Design :
   1. Ramnagar Nagar Palika Population (2011) – 54787, Daily Floating population – 15000 (Peak)
      Design Population (2031) – 73970 (Approx.)
      Current Solid Waste Generation – 16 MTPD   Waste Generation Design year – 27.8 MTPD
   2. **Current System** :- Waste collected from households & community bins or from the roadside kerbs via Auto-tippers by private contractor "Nivaran seva samiti" for Rs 10/HH taken initially. Source segregation is not yet active. Street sweeping is done daily on almost all the internal and the main roads. The Waste is collected via 4 Auto-tipper, 2 tipper trucks & 1 tractor trolley in total 10 trips and transferred to the current temporary site where it is dumped without any processing. PPE use also needs to improve the swacchhta team consist of 88 workers, with 52 permanent, 36 from swachhta samiti. User charges notified and implemented.
   3. **Proposed municipal waste Management system of Ramnagar** :-
      Storage :- 100% source segregation. Colour coded dustbins to 11000 households + 400 community bins + 6 decentralized recycling centres + 150 designer bins along roadside.
      Collection :- 100 % door to door collection from household & commercial areas. Additional 1 Auto tippers + 5 hydraulic pickup vehicle + 2 tractor trolley for drain cleaning + 1 Animal pickup van + 1 Sewer suction machine.
      PPE : Personal protective equipment's for sanitation workers.
      Processing :- Wet waste-Initial segregation, presorting, windrows 30 days then maturation then sorting by 100 kg/hr trammel machine followed by bagging &

क्रमशः पृष्ठ–2/–

storage. Food waste collected from hotels and restaurants will be send to 0.2 Tonne mechanical compost machine. Compost pad, bagging & storage shed provided along with dry waste segregation & processing shed at Puchhdi site.

Dry Waste :- Sorting into different material stream & volume reduction by vertical compactor & plastic shredder. Rest stored & to be sold to recyclers. Log to be maintained of all activities.

Disposal :- Sanitary landfill for inert materials and rejects for processing for 15 year period along with leachate collection tank & leachate treatment plant.

4. **व्यय वित्त समिति की बैठक हेतु राज्य योजना आयोग का अभिमत** :—

4.1 परियोजना पर निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व प्रस्तावित परिसर की सॉयल टेस्टिंग करायी जानी आवश्यक होगी तथा सॉयल टेस्टिंग रिपोर्ट में संस्तुति की गयी, सेफ बियरिंग कैपेसिटी के आधार पर स्ट्रक्चरल डिजाइन एवं ड्राइंग तैयार की जायेगी। उक्त डिजाइन एवं ड्राइंग को किसी सरकारी मान्यता प्राप्त संस्थान अथवा उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग से वैट कराये जाने के उपरान्त इस ड्राइंग के आधार पर निर्माण कार्य कराया जायेगा।

4.2 प्रशासकीय विभाग द्वारा स्पष्ट किया गया है कि उक्त प्रक्रिया से यदि लागत में वृद्धि होती है तो उसे नगर पालिका द्वारा वहन किया जायेगा तथा यदि बचत होती है तो उसके सम्बन्ध में प्रशासकीय विभाग को सूचित किया जायेगा।

4.3 अपशिष्ट की प्रोसेसिंग के उपरान्त अवशेष उत्पाद का निस्तारण पर्यावरण सम्बन्धी मानकों के आधार पर सुनिश्चित किया जायेगा।

4.4 परियोजना के संचालन पर वार्षिक व्यय रू0 261.18 लाख प्रस्तावित है तथा वार्षिक आय रू0 44.79 लाख अनुमानित है। अतः परियोजना के संचालन व्यय पर प्रभावी नियन्त्रण रखा जायेगा।

4.5 परियोजना हेतु केन्द्र सरकार से केन्द्रांश के रूप में 35 प्रतिशत धनराशि प्राप्त है तथा राज्य सरकार द्वारा राज्यांश के रूप में 65 प्रतिशत अनुदान प्रस्तावित है।

4.6 परियोजना का अनुमोदन राज्य उच्च स्तरीय समिति (HPC) की दिनांक 24.09.2019 की बैठक में हो चुका है।

5. **परियोजना की लागत का विवरण** :—

(धनराशि रू0 लाख में)

S.No.	Description	Schedule Item	Non-Schedule Item
1	Source Segregation Storage		22.80
2	Collection and Transportation of Waste		106.66
3	Materials and Machinery		80.05
4	Civil Works	176.85	61.63
5	Environmental Monitoring		2.56
6	Environmental Clearance (EIA)		15.00
7	सैनीटेशन क्लीनिक हेतु 12 सेग्रीगेशन हॉल (30x15) फीट व (45x15) फीट	41.80	0.96
	Total	**218.65**	**289.66**
	Contingencies @ 3%	5.31	
	Grand Total	**223.96**	**289.66**
	Say in Lakh	**513.62**	

क्रमशः पृष्ठ—3/—

6. व्यय वित्त समिति में विस्तृत चर्चा के उपरान्त निर्णय :–

प्रश्नगत योजना के सम्बन्ध में व्यय वित्त समिति में विस्तार पूर्वक चर्चा की गयी चर्चा के उपरान्त प्रशासकीय विभाग द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव लागत सार–5 (Summary of Cost) **में अंकित लागत के सारांश–5 में उल्लिखित मदवार विवरण राज्य योजना आयोग स्तर पर परीक्षणोपरान्त लागत धनराशि रू0 513.62 लाख** को निम्न प्रतिबन्धों के साथ अनुमोदित किया गया :–

6.1 कार्य पर मदवार उतना ही व्यय किया जाय जितनी मदवार धनराशि स्वीकृत की गयी है। स्वीकृत धनराशि से अधिक व्यय कदापि न किया जाय।

6.2 निर्माण कार्य में स्ट्रक्चरल एवं Reinforcement Steel हेतु शत–प्रतिशत प्राइमरी स्टील का ही प्रयोग किया जाय।

6.3 कार्य निर्धारित अवधि में अवश्य पूर्ण कर लिया जाय। इसके पश्चात् डी0पी0आर0 में किसी प्रकार का पुनरीक्षण अनुमन्य नहीं होगा। यदि किसी अपरिहार्य परिस्थिति में पुनरीक्षण या किसी नये मद को जोड़ने की आवश्यकता होती हो तो पुनः नियमानुसार व्यय वित्त समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया जाय।

6.4 निर्माण सामग्री यथा पाईप, Bricks, cement, steel एवं अन्य का I.S.Code के अनुरूप N.A.B.L. Laboratory से परीक्षण अवश्य करा लिया जाय।

6.5 कार्यदायी संस्था कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व कार्य के समस्त Drawing and Design सक्षम स्तर से विधीक्षित (Vet) कराया जाय।

6.6 आगणन में एस0ओ0आर0 पेयजल निगम/लोक निर्माण विभाग डी0एस0आर0 2018 की दरें ली गई है एवं उसी के अनुरूप मदें एवं विशिष्टयां भी उल्लिखित है। विशिष्टयों तथा दरों में परिवर्तन की दशा में कार्य की कुल स्वीकृत लागत में भी परिवर्तन हो सकता है। ऐसी स्थिति में प्रशासकीय विभाग के विभागाध्यक्ष की स्वीकृति अनिवार्य होगी। अतः मितव्ययता के दृष्टिकोण से यह अपरिहार्य है कि कार्यदायी संस्था योजना की तकनीकी स्वीकृति प्रदान करते समय उन्ही मदों का आगणन में समावेश करेंगे जो अपरिहार्य मदें है।

6.7 मितव्ययता के दृष्टिकोण से यथासम्भव मानकानुसार स्थानीय उपलब्ध सामग्री का ही उपयोग करेंगे तथा होने वाली बचतों से भी नियोजन को अवगत करायेंगे।

व्यय वित्त समिति के उपरोक्त क्रमांक 6.1–6.7 तक निहित शर्तो का कडाई से पालन सुनिश्चित किया जाय तथा विभागाध्यक्ष/सक्षम अधिकारी द्वारा प्लान, स्ट्रक्चरल डिजाइन एंव विशिष्टियों पर हस्ताक्षर अवश्य किये जायेगें, ताकि भविष्य में प्लान, डिजाइन या विशिष्टियों में कार्यदायी संस्था या Contractor के स्तर से परिवर्तन कर कार्य की गुणवत्ता प्रभावित करने की प्रवृत्ति को रोका जा सकें।

उक्त प्रतिबन्धों का समावेश इस सम्बन्ध में जारी किये जाने वाले शासनादेश में अवश्यमेव कर लिया जाय।

अन्त में अध्यक्ष, व्यय वित्त समिति द्वारा बैठक में उपस्थित समस्त प्रतिभागियों के प्रति धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक की कार्यवाही सम्पन्न हुई।

OmPrakash

ओम प्रकाश
मुख्य सचिव

क्रमशः पृष्ठ–4/–

उत्तराखण्ड शासन,
राज्य योजना आयोग
(नियोजन विभाग)
संख्याः 1057 / 632 / ई0एफ0सी0 / रा0यो0आ0 / 2020–21
देहरादूनः दिनांकः 09 अक्टूबर, 2020

उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. सचिव, वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
2. सचिव, शहरी विकास विभाग, उत्तरखण्ड शासन।
3. ✓ प्रोग्रामर, राज्य योजना आयोग, उत्तराखण्ड को इस आशय से प्रेषित कि कार्यवृत्त को वेबसाइट में अपलोड करे।

(मेजर योगेन्द्र यादव)
अपर सचिव